भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4910
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : पीकेवीवाई का मूल्यांकन

4910. श्री सुदामा प्रसादः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएम-कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से पूर्वोत्तर को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। दोनों योजनाओं में जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन तथा फसलोपरांत प्रबंधन तक हर संभव सहायता देने पर जोर दिया जाता है। योजनाओं में मुख्य रूप से ऐसे क्लस्टर में जैविक क्लस्टर बनाने पर ध्यान दिया जाता है, जिनमें छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि उन्हें आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिल सके।

अब तक परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के अंतर्गत 25.30 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं, राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है ।

(ख): पीएमकेएसवाई एक अंब्रेला योजना है, जिसमें दो प्रमुख घटक शामिल हैं, जिन्हें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। एचकेकेपी में चार उप-घटक शामिल हैं: (i) कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एंड डब्ल्यूएम); (ii) सतही लघु सिंचाई (एसएमआई); (iii) जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर); और (iv) भूजल विकास (जीडब्ल्यू)।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम से लक्षित लाभार्थियों की अनुमानित संख्या का राज्यवार विवरण **अनुबंध -II** में दिया गया है ।

भूमि संसाधन विभाग 2009-10 से एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (डब्ल्यूएमपी) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसे 2015-16 में पीएमकेएसवाई (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक के रूप में विलय कर दिया गया था। सरकार ने 15.12.2021 को डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई को जारी रखने की अनुमति दे दी है क्योंकि परियोजना के लिए 'डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0' को 2021-2026 के लिए संशोधित किया गया है, जिसमें 49.50 लाख हेक्टेयर का वास्तविक लक्ष्य और 8,134 करोड़ रुपये का सांकेतिक केंद्रीय वित्तीय परिव्यय है। लाभान्वित किसानों का राज्यवार विवरण **अनुबंध** - III में दिया गया है।

(ग): 2015-16 से (27.03.25 तक) पीकेवीवाई के अंतर्गत 2337.96 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के रूप में 18075 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और अप्रैल, 2016 से सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों के लिए 3129 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पीएमकेएसवाई के डब्ल्यूडीसी-पीकेएसवाई-1.0 और डब्ल्यूडीसी-पीकेएसवाई, 2.0 घटकों के लिए क्रमशः 19926.687 करोड़ रुपये और 4674.85 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(घ): नीति आयोग द्वारा फरवरी 2020 में पीकेवीवाई योजना का मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन में पाया गया कि यह योजना कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है और सतत विकास के लिए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

नीति आयोग के अंतर्गत विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) ने 2015-2020 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई का मूल्यांकन किया है। पीएमकेएसवाई के अधिकांश घटकों को प्रासंगिकता, दक्षता, प्रभाव और प्रदर्शन के समानता मापदंडों के संदर्भ में संतोषजनक माना गया है ।

अनुबंध- ।

वर्ष 2015-16 से पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत लाभान्वित किसानों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	किसानों
1	आंध्र प्रदेश	7,46,976
2	बिहार	43,208
3	छत्तीसगढ	60,294
4	गुजरात	17,836
5	गोवा	12,685
6	झारखंड	32,714
7	कर्नाटक	37,598
8	केरल	3,10,841
9	मध्य प्रदेश	1,16,360
10	महाराष्ट्र	87,350
11	ओडिशा	70,026
12	पंजाब	6,676
13	राजस्थान	2,17,479
14	तमिलनाडु	37,886
15	तेलंगाना	18,405
16	उत्तर प्रदेश	2,73,672
17	पश्चिम बंगाल	48,585
18	असम	9,740
19	मिजोरम	2,054
20	मेघालय	2,275
21	हिमाचल प्रदेश	44,932
22	जम्मू और कश्मीर	12,900
23	उत्तराखंड	3,01,109
24	अंडमान और निकोबार	3,590
25	दमन और दीव	1,324
26	लद्दाख	14,070
	कुल	**25,30,585**

अनुबंध- II

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम से लक्षित लाभार्थियों की अनुमानित संख्या का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	3657294
2	असम	47666
3	बिहार	395887
4	छत्तीसगढ	110296
5	गोवा	23843
6	गुजरात	1192391
7	हिमाचल प्रदेश	50395
8	झारखंड	1282496
9	कर्नाटक	1013460
10	केरल	401747
11	मध्य प्रदेश	1138529
12	महाराष्ट्र	3570772
13	मणिपुर	276332
14	ओडिशा	1891735
15	पंजाब	2000004
16	राजस्थान	1417644
17	तेलंगाना	655848
18	उत्तर प्रदेश	4322751
19	तमिलनाडु	6584
20	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	116713
21	केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	1171
	कुल	**2,35,73,558**

अनुबंध -III

एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (डब्ल्यूएमपी) – 2.0 को कार्यान्वित करने वाले भूमि संसाधन विभाग के अंतर्गत लाभान्वित किसानों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	लाभान्वित किसान		
		2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	662	9935	6495
2	अरुणाचल प्रदेश	9379	59	27
3	असम	36132	77161	24420
4	बिहार	16542	7783	32476
5	छत्तीसगढ	9324	3078	19
6	गुजरात	10104	27947	3817
7	हरियाणा	753	433	290
8	हिमाचल प्रदेश	7049	9762	7836
9	झारखंड	8943	7995	90949
10	कर्नाटक	201125	44130	1112
11	केरल	11537	14181	2757
12	मध्य प्रदेश	19113	9934	2633
13	महाराष्ट्र	0	0	57349
14	मणिपुर	460	0	990
15	मेघालय	383	1779	2359
16	मिजोरम	2994	5897	1007
17	नागालैंड	2464	2304	1115
18	ओडिशा	28120	66882	26066
19	पंजाब	2590	11256	1210
20	राजस्थान	8412	1517	38512
21	सिक्किम	0	4636	3525
22	तमिलनाडु	11157	484	28330
23	तेलंगाना	1800	829	883
24	त्रिपुरा	3449	2333	1390
25	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर	23681	52132	33183
26	उत्तराखंड	3507	8476	14193
27	उतार प्रदेश	0	25478	115583
28	पश्चिम बंगाल	3756	12116	12849
कुल योग		423436	408517	511375

स्रोत: - डब्ल्यूडीसी-पीकेएसवाई 2.0 - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा होस्ट और रखरखाव की जाने वाली एमआईएस वेबसाइट। इस साइट में प्रस्तुत डेटा को संबंधित राज्य, सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और डीओएलआर द्वारा अपडेट किया गया है 27/03/2025 18:33:03

*****